पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 4646/अका./का.प/2024 रायपुर, दिनांक 15/10/2024

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '92वाँ' बैठक बुधवार दिनांक 23.10.2024 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.09.2024 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान कर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना। (पृष्ठ क्र. 01 से 09 तक)**

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. **DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST PURSE Project: SR/PURSE / 2022/145) के अंतर्गत अनुबंधित फर्म Biologic Science Instruments Pvt Ltd. Thane, Maharashtra से खरीदे गए उपकरण Multichannel Electrochemical workstations (Potentiostate) की राशि रुपए रु. 29,89,535.00 (रु. उनतीस लाख नवासी हजार पांच सौ पैंतीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

   टीपः DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST PURSE Project: SR/PURSE / 2022/145) के अंतर्गत अनुबंधित फर्म Biologic Science Instruments Pvt Ltd. Thane, Maharashtra से खरीदे गए उपकरण Multichannel Electrochemical workstations (Potentiostate) उपकरण के accessories एवं lab prerequisites सप्लाइ हेतु फर्म M/S Duttco Instruments, Howrah, W.B. को उनके दिये गए बैंक विवरण अनुसार कुल राशि (GST सहित) रु. 5.90,000=00 (रु. पांच लाख नब्बे हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.09.2024 के पूरक विषय सूची के बिंदु क्रमांक 21 में किया गया है।
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST&PURSE Project, SR/PURSE /2022/145; दिनांक– 13/01/2023) के अंतर्गत खरीदे गए शोध उपकरण Multichannel Electrochemical workstations (Potentiostate) M/S Biologic Science Instruments Pvt. Ltd. Thane, Maharashtra को उनके दिये गए बैंक विवरण अनुसार कुल राशि (GST सहित) रु. 29,89,535.00 (रु. उनतीस लाख नवासी हजार पांच सौ पैंतीस मात्र) भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. **विश्वविद्यालय की Registered C.A. Ms. Payal Agrawal को Section 8 Company "PRSU INNOVATION TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP FOUNDATION (PITEF)" की C.A. दर Rs. 13000/- + GST प्रतिमाह दर पर नियुक्ति के संबंध में विचार करना।**

   टीपः Section 8 Company "PRSU INNOVATION TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP FOUNDATION (PITEF)" विश्वविद्यालय में 5 फरवरी 2024 से स्थापित है, जिसमें विश्वविद्यालय के C.A. Ms. Payal Agrawal को प्रति माह Rs. 13000/- + GST के साथ 3 वर्ष के लिए नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है। जिसके भुगतान की राशि विश्वविद्यालय FUND से दिया जाना है। कंपनी की आय होने पर C.A. को भुगतान की गई राशि को विश्वविद्यालय FUND में वापस कर दिया जायेगा। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

4. **श्री राम कालेज, सारागांव रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोले जाने बाबत्।**

टीप : बंद लिफाफा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

5. **रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सुंदर नगर, रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोले जाने बाबत्।**

टीप : बंद लिफाफा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

6. **वित्तीय वर्ष 2024–25 में विश्वविद्यालय परिसर के उद्यानों के वार्षिक संधारण हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 56,15,287/– (रुपये छप्पन लाख पन्द्रह हजार दो सौ सत्यासी मात्र) में से प्रथम किश्त की राशि रु. 14,03,822/– (रुपए चौदह लाख तीन हजार आठ सौ बाइस मात्र) दिनांक 20.05.2024 एवं द्वितीय किश्त की राशि रु. 14,03,822/– (रुपए चौदह लाख तीन हजार आठ सौ बाइस मात्र) दिनांक 10.10.2024 को किये गए भुगतान तथा कार्यानुमति की कार्योत्तर वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीप: (1) वित्तिय वर्ष 2024–25 में विश्वविद्यालय के उद्यानों के वार्षिक रख–रखाव के लिए सहायक संचालक, उद्यान विभाग के पत्र दिनांक 26.04.2024 द्वारा राशि रु. 56,15,287/– (रुपये छप्पन लाख पन्द्रह हजार दो सौ सत्यासी मात्र) का प्राक्कलन विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया गया था।

(2) दिनांक 17.05.2024 को उक्त प्राक्कलन का अनुमोदन कार्यपरिषद् की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में उक्त राशि को 4 किश्तों में भुगतान किये जाने की योजना को मान्य करते हुए प्रथम किश्त की राशि रु. 14,03,822/– (रुपए चौदह लाख तीन हजार आठ सौ बाइस मात्र) का भुगतान सहायक संचालक, उद्यान को दिनांक 20.05.2024 को किया गया था।

(3) अक्टूबर 2024 में दशहरा–दीपावली त्योहार में उद्यानों की रख–रखाव में कार्यरत श्रमिकों की पारिश्रमिक भुगतान की आपात आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सहायक संचालक, उद्यान को द्वितीय किश्त की राशि रु. 14,03,822/– (रुपए चौदह लाख तीन हजार आठ सौ बाइस मात्र) का भुगतान कार्यपरिषद् से कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 10.10.2024 को किया गया है।

कृपया वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक संधारण हेतु प्राक्कलन राशि रु. 56,15,287/– (रुपये छप्पन लाख पन्द्रह हजार दो सौ सत्यासी मात्र) में से प्रथम किश्त की राशि रु. 14,03,822/– (रुपए चौदह लाख तीन हजार आठ सौ बाइस मात्र) दिनांक 20.05.2024 एवं द्वितीय किश्त की राशि रु. 14,03,822/– (रुपए चौदह लाख तीन हजार आठ सौ बाइस मात्र) दिनांक 10.10.2024 को किये गए भुगतान तथा कार्यानुमति की कार्योत्तर वित्तीय स्वीकृति माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

7. **क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 18.07.2024 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।**

टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

8. **डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, से.नि. क्रीड़ा अधिकारी के प्रकरण पर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.06.2024 के निर्णयानुसार प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं का बिन्दुवार विधिक परीक्षण उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) के दो अधिवक्ताओं, श्री नीरज चौबे एवं श्री अविनाश मिश्रा से प्राप्त बंद लिफाफा के संबंध में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.09.2024 के निर्णयानुसार बंद लिफाफा खोलने एवं विधिक अभिमत पर विचार हेतु पुनः प्रस्तुत।**

टीप: विश्वविद्यालय की 81वीं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22.09.2023 के पूरक विषय सूची क्र. 08 में डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, से.नि. क्रीड़ा अधिकारी के प्रकरण पर गठित चार सदस्यीय समिति के द्वारा बंद लिफाफे में प्राप्त प्रतिवेदन को रखा गया।

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.06.2024 के पूरक विषय सूची क्र. 02 में लिए गए निर्णयानुसार प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं का बिन्दुवार विधिक परीक्षण कराते हुए आगामी कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया।

तद्नुसार विश्वविद्यालय द्वारा कार्यपरिषद में लिए गए निर्णय के परिपालन में उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) के दो अधिवक्ताओं श्री नीरज चौबे एवं श्री अविनाश मिश्रा से विधिक अभिमत चाही गयी थी।

उक्त दोनों अधिवक्ताओं ने सील बंद लिफाफे में विधिक अभिमत प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसे कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.09.2024 के पूरक विषय सूची क्रमांक 9 में पुनः निर्णय लिये जाने हेतु आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

अतः उक्त बंद लिफाफा खोलने एवं विधिक अभिमत माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

9. **अंकसूची/उपाधि प्रमाण–पत्र की छायाप्रति निःशुल्क सत्यापित करने के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय द्वारा सभी संस्थाओं से प्राप्त अंकसूची एवं उपाधि प्रमाणपत्र की सत्यापन/जाँच हेतु शुल्क निर्धारित है। लेकिन केन्द्र सरकार व राज्य शासन के द्वारा पुलिस जाँच से संबंधित प्रकरणों को निःशुल्क जाँच की माँग की गई है, जिसे संकायाध्यक्षों की समिति एवं अधिवक्ता से विधिक सलाह लेकर निःशुल्क सत्यापन किया जा रहा है।

अतः पुलिस जाँच से संबंधित अंकसूची/उपाधि प्रमाण–पत्रों के निःशुल्क जाँच करने की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

10. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर) 15/10/24

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 4647/अका./का.प/2024 — रायपुर, दिनांक 15/10/2024

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

(हस्ताक्षर)

उप–कुलसचिव (अका.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '92वाँ' बैठक बुधवार दिनांक 23.10.2024 को अपराह्न 3.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.10.2024 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना। (पृष्ठ क्र. 01 से 04 तक)**

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. **राज्य शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 23/2024, आदेश क्रमांक 786/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार, दिनांक 17.10.2024 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप विश्वविद्यालय शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 2017 माह अक्टूबर–2024 से महंगाई भत्ता दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 से 46 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 230 प्रतिशत से बढ़ाकर 239 प्रतिशत किए जाने संबंधी वित्त निर्देश को अंगीकृत करने एवं गृह–भाड़ा भत्ता की पुनरीक्षित दर की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।**

   टीपः (1) छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 23/2024, आदेश क्रमांक 786/एफ 2013–04–00416/वि/नि/चार, दिनांक 17.10.2024 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप विश्वविद्यालय शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 2017 माह अक्टूबर–2024 से निम्नानुसार वृद्धि किया गया है :–

वेतनमान	अवधिय जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवाँ वेतनमान	दिनांक 01.10.2024	4%	50%
छठवाँ वेतनमान	दिनांक 01.10.2024	9%	239%

   उक्त वित्त निर्देश को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने हेतु विचारार्थ।

   (2) छ.ग. शासन के वित्त विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, के वित्त निर्देश 23/2023, पत्र क्र. 430/558/वित्त/नि/चार/2023, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.08.2023 के परिपालन में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में गृह–भाड़ा भत्ता की दर को महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने पर 'बी–2 श्रेणी, रायपुर' हेतु 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्त निर्देश 23/2023 को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.08.2023 के पूरक सूची के निर्णय क्रमांक 4 में अंगीकृत किया गया है। उक्त वित्त निर्देश में महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने पर गृह–भाड़ा भत्ता 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत मान्य किये जाने का प्रावधान है, सूचनार्थ प्रस्तुत।

   माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

3. **विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं धारणाधिकार प्राप्त कर्मचारियों का तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा से वेतन निर्धारण संशोधन उपरांत सातवें वेतनमान के वेतन अंतर की राशि छठवें एवं अंतिम किस्त के रूप में माह फरवरी–2018 से जून–2018 तक के एरियर्स राशि रु. 14,71,377.00 (रुपए चौदह लाख इकहत्तर हजार तीन सौ सतहत्तर मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः 1. छ.ग. शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 15/2024 के क्रमांक 1766/एफ–01002199/एल–11–2/ब–4/चार नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11.06.2024 अनुसार विश्वविद्यालय के गैर–शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के छठवें एवं अंतिम किस्त के एरियर्स की राशि माह फरवरी–2018 तक कुल 05 माह का भुगतान किया गया है।

2. यथा निर्देशानुसार सेवानिवृत्त/धारणाधिकार/वेतनमान संशोधन तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को कुल एरियर्स की राशि आयकर एवं अन्य कटौतियाँ सहित कुल राशि रु. 14,71,377.00 (रुपए चौदह लाख इकहत्तर हजार तीन सौ सतहत्तर मात्र) का भुगतान किया गया।

3. उक्त वित्त निर्देश को अंगीकृत कर किये गये भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

4. **श्री सावन सिंह ध्रुव, द्वितीय श्रेणी लिपिक, गोपनीय विभाग द्वारा भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान फलस्वरूप प्राप्त आवेदन दिनांक 18.09.2024 द्वारा पुत्री के विवाह हेतु राशि रु. 5,50,000.00 (रुपए पाँच लाख पचास हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

सामान्य प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव :–

5. **शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला हेतु कार्यपरिषद् में स्वीकृत सह. प्राध्यापक के 02 पद एवं सहायक प्राध्यापक हेतु 02 पदों के अनुमोदन में संशोधन कर NCTE मानदण्ड के अनुरूप 18 शैक्षणिक पदों एवं 25 अशैक्षणिक पद स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की 91वाँ बैठक दिनांक 27.09.2024 में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय बिन्दु क्रमांक 03 में लिए गए निर्णय में शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला हेतु सह. प्राध्यापक के 02 पद एवं सहायक प्राध्यापक हेतु 02 पदों की स्वीकृति हेतु राज्य शासन को पत्र प्रेषित करने का अनुमोदन किया गया है।

पुनः उपरोक्त अनुमोदन में NCTE मानदण्ड के अनुरूप संशोधन करते हुए 18 शैक्षणिक पदों (02 प्रोफेसर, 04 एसोसिएट प्रोफेसर, 09 असिटेंन्ट प्रोफेसर एवं 03 अंशकालिन असिस्टेंट प्रोफेसर आवश्यकता होने पर सहित) एवं 25 अशैक्षणिक पद (स्पोट्स ट्रेनर 03 (अंशकालीन), योगा ट्रेनर 01 (अंशकालीन), डाइट्रीसियन 01 (अंशकालीन), लाईब्रेरियन 1, फिजियोथेरेपिस्ट 1, ग्राउण्ड्स मेन/मार्कर/हेल्पर 04, म्यूजिक टीचर 1 (अंशकालीन), आई.सी.टी. इन्सट्रक्टर 1 (अंशकालीन), टेक्निकल असिस्टेंन्ट 3 (1 अंशकालीन सहित), ऑफिस सुपरिंटेंडेन्ट 01, अकाउन्ट असिस्टेंट 1, आफिस असिस्टेंट 1, स्टोरकीपर 1 कम्प्यूटर असिस्टेंन्ट 01, हेल्पर/अटेन्डेन्ट 02, लैब अटेंडेन्ट 02) सृजित किये जाने एवं उक्त संबंध में राज्य शासन को शैक्षणिक/अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति हेतु पत्र प्रेषित करने के लिए संशोधन प्रस्ताव माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

6. **विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती के रिक्त शैक्षणिक पदों के लिए अरक्षण रोस्टर निर्धारण हेतु शासन द्वारा अनुशंसित रोस्टर (पत्र क्रमांक एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3 दिनांक 04/12/2012) की व्यवस्था के सुनिश्चयन की दृष्टि से प्रशासनिक स्तर पर गठित आरक्षण रोस्टर समिति के दो सदस्यों का रिक्तियों के सापेक्ष नामांकन किए जाने के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : प्रस्ताव में संदर्भित शासन का पत्र क्रमांक एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3 दिनांक 04/12/2012 के सापेक्ष विश्वविद्यालय द्वारा आदेश क्रमांक /3816/स्था./सा.प्रशा./2021 रायपुर, दिनांक 04.12.2021 को आरक्षण रोस्टर निर्धारण समिति का गठन किया गया था।

आरक्षण रोस्टर निर्धारण समिति द्वारा दिनांक 04.07.2023 की स्थिति में अपनी बैठक दिनांक 04.07.2023 में रिक्त शैक्षणिक पदों के लिए विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुए शैक्षणिक पदों के सापेक्ष आरक्षण रोस्टर निर्धारण किया गया था, जिसे विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की 78वी. बैठक दिनांक 04/07/2023 के पूरक विषय सूची बिन्दु क्रमांक 6 द्वारा अनुमोदन किया गया।

उपरोक्त आरक्षण रोस्टर निर्धारण समिति में निम्नांकित दो वर्गों के अंतर्गत नामित सदस्य अवकाश प्राप्त कर चुके हैं अथवा स्थानांतरित हो चुके हैं –

1. उच्च शिक्षा विभाग से एक सदस्य
2. ST/SC आयोग से एक सदस्य

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में संबंधित प्रक्रिया से संसूचित होने संबंधित आरक्षण रोस्टर समिति के पुनर्गठन पर विचार करना।

7. **विश्वविद्यालय के कर्मचारियों (शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों) का 60 वर्ष उपरांत समूह बीमा की दावा राशि भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

<u>टीपः</u> विश्वविद्यालय के कर्मचारियों (शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों) का 60 वर्ष उपरांत समूह बीमा की दावा राशि प्राप्त हुई है जिसके अनुसार उनके नाम के सम्मुख दर्शित अनुसार समूह बीमा की राशि विश्वविद्यालय के <u>सामान्य मद खाता क्र. 10049590033 मे दिनांक 03.10.2024 को स्थानांतरित</u> कर दी गई थीः–

01 डॉ. एम.के.देब, प्रोफेसर	60 वर्ष	रू. 1,51,058=00
02 डॉ. (श्रीमती) प्रियम्वदा श्रीवास्तव, प्रोफेसर	60 वर्ष	रू. 1,67,939=00
03 श्री रामजी लाल मण्डावी, सहा.कुलसचिव	60 वर्ष	रू. 1,12,034=00
04 श्रीमती माया वर्मा, प्रोफेसर	60 वर्ष	रू. 1,52,618=00
	कुल	रू. 5,83,649=00

उपरोक्तानुसार कमशः चारो कर्मचारियों का कुल रू. <u>5,83,649=00 (पॉच लाख तिरासी हजार छः सौ उन्चास रू. मात्र) कर्मचारियों को भुगतान की गयी है</u>। कार्यपरिषद के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

8. **DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/[IRSE/2022/145) के अंतर्गत फर्म M/S. Duttco Instruments, Howrah, W.B. से खरीदे गए उपकरण 1400^0 C Muffle Atmosphere Furnace की राशि (GST सहित) रुपए 14,57,477.00 (रुपए चौदह लाख संतावन हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीप : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/[IRSE/2022/145 दिनांक 13.01.2023) के अंतर्गत खरीदे गए शोध उपकरण 1400^0 C Muffle Atmosphere Furnace हेतु फर्म M/S. Duttco Instruments, Howrah, W.B. को उनके दिये गए बैंक विवरण अनुसार कुल राशि रुपए 14,57,477.00 (रुपए चौदह लाख संतावन हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

9. **IBITF, IIT भिलाई से प्राप्त प्रोजेक्ट के माध्यम से दिनांक 06–10 नवम्बर 2024 को "पर्यटन के माध्यम से आर्थिक उन्नयन : बलरामपुर जिले के विशेष संदर्भ में" विषय पर पाँच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है इस आयोजन में विभिन्न मदों में रु. 8,10,000.00 (रुपए आठ लाख दस हजार मात्र) अनुमानित व्यय होना है। उपरोक्त राशि में से रु. 8,00,000.00 (रुपए आठ लाख मात्र) अग्रिम के रूप में स्वीकृत किये जाने संबंधी कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

10. **शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर को माइक्रोबायोलॉजी विषय में शोध–केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।**

टीप : माइक्रोबायोलॉजी विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 16.10.2024 के निर्णयानुसार शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध–केंद्र की मान्यता अस्थाई रूप से प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। संशोधित विनियम क्रमांक–107 की कंडिका–05 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कुल–अनुशासक कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव :–

11. **विश्वविद्यालय की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कर्मी बढ़ाने के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय की सुरक्षा हेतु वर्तमान में निम्नलिखित सुरक्षा कर्मी कार्यरत है–

शिफ्ट	कार्यरत सुरक्षा कर्मी की संख्या	गन मेन की संख्या	कुल
प्रथम शिफ्ट	31	1	32
द्वितीय शिफ्ट	30	1	31
तृतीय शिफ्ट	29	4	33
			96

इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में नवीन भवन का निर्माण छात्रावास परिवर्तन एवं अन्य विभागों द्वारा सुरक्षा कर्मियों को लगाने हेतु निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुए है–

1. विश्वविद्यालय के एच.आर.डी.सी. के प्रथम तल पर गेस्ट हाउस बनाया गया है जिसकी देखभाल सुबह से साम तक एक दैनिक वेतन भोगी (अकुशल) द्वारा की जाती है जबकि भवन में 24 घंटे एक सुरक्षा कर्मी की आवश्यकता है क्योंकि उक्त भवन में अतिथि भी ठहरते है। और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी द्वारा अवकाश लिए जाने पर उक्त स्थान रिक्त हो जाता है। इस संदर्भ में इंचार्ज गेस्ट आउस द्वारा एक

नोटशीट दिनांक 16.07.2024 को प्राप्त हुई जिसमें तीनों शिफ्ट में एक सुरक्षा कर्मी लगाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के अंदर वाले चौनल गेट पर केवल एक पुरूष सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक लगाई जाती है। उक्त चौनल गेट पर एक महिला सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी भी दिनांक 16.04.2024 से लगाई गई है जिसे मान्य कर आदेश हेतु नस्ती दिनांक 03.08.2024 को प्राप्त हुई है।

3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग द्वारा आग्रह किया गया है विभिन्न काउंटरों पर कार्य हेतु छात्र – छात्राओं एवं पालकगण की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है और व्यवस्था की दृष्टि से एक महिला सुरक्षा कर्मी को प्रातः 10:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक ड्यूटी लगाये जाने की आवश्यकता है के संबंध मे एक नोटशीट प्राप्त हुई है।

4. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पीछे नया परीक्षा भवन बनाया गया है जिसकी सुरक्षा हेतु दो सुरक्षा कर्मी प्रति तीनों शिफ्ट में लगया जाने हेतु आवेदन प्राप्त हुए है क्योंकि भवन विशाल है और पीछे की बस्ती से लगा हुआ है।

5. समय–समय पर विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं जिसमें अनुशासन आदि को बनाये रखने हेतु संबंधित विभागों से सुरक्षा कर्मी लगाये जाने मांग की जाती है।

अतः आवश्यकतानुसार उक्त कार्यक्रमों में सुरक्षा कर्मी प्रदान करने हेतु प्रथम शिफ्ट में 05 द्वितीय शिफ्ट में 07 एवं तृतीय शिफ्ट में 04 इस प्रकार कुल 16 सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाये जाने तथा भविष्य में आवश्यकता/आकस्मिकता के दृष्टिगत कुलअनुशासक एवं कुलसचिव की अनुशंसा पर कुलपति को निर्णय के लिए अधिकृत किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

<u>यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

12. **PM-USHA अन्तर्गत उपकरण/साफ्ट कम्पोनेंट के लिए प्रेषित प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति एवं भवनों के नवीन निर्माण/नवीनीकरण के लिए प्राप्त अनुदान की सूचना ग्रहण करने बाबत्।**

टीप: PM-USHA के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय रुसा के पत्र क्र. 2746/रापका/रुसा/2024 दिनांक 22.02.2024 में प्रदत्त निहित मार्गदर्शिका अनुसार राशि रु. 20 करोड़ की सीमा में प्रस्ताव भेजने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देश के परिपालन में विश्वविद्यालय के द्वारा निम्न मदों में खर्च करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है–

(1) उपकरण/साफ्ट कम्पोनेंट क्रय की प्रस्ताव को विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 331/अनु.प्रको./पी एम उशा/2024 दिनांक 07.06.2024 द्वारा कुल राशि रु. 6,47,58,929.00 (रुपये छः करोड़ सैतालीस लाख, अन्ठावन हजार, नौ सौ उन्तीस) (जिसका विस्तृत विवरण Annexure-1 में संलग्न है) को माननीय कार्यपरिषद से कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में परियोजना संचालक–रुसा को प्रेषित किया गया है।
उक्त प्रस्ताव को माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(2) नवीन निर्माण/नवीनीकरण कार्य के लिए भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 16.04.2024 के निर्णय क्र.–03, जिसका अनुमोदन माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.06.2024 के पूरक विषय क्र.–10 में किया जा चुका है।

(i) जिसका विवरण Annexure-2 में निम्नानुसार है–

क्र.	विवरण	प्राक्कलन राशि रु.
01	नवीन निर्माण कार्य	रु. 7,80,47,427.23
02	नवीनीकरण कार्य	रु. 5,71,93,640.17

(ii) उक्त प्रस्ताव को विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 328/अनु.प्रको./पी एम उशा/2024 दिनांक 27.05.2024 द्वारा परियोजना संचालक–रुसा को प्रेषित किया गया था।

(iii) छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ–15–22/2024/38.1 रायपुर द्वारा विश्वविद्यालय से प्रेषित प्रस्ताव पर नवीन निर्माण/नवीनीकरण हेतु कुल राशि रु. 13,31,12,028.40 (रुपये तेरह करोड़, इकतीस लाख, बारह हजार, अठाईस, पैसे चालीस) की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुआ है (जिसका विवरण Annexure-3 संलग्न है)।

उक्त प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति माननीय कार्यपरिषद के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(3) दुरभाष में वाट्सएप सूचना द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय (रुसा) के पत्र क्रमांक 2953/रा.प.का./रुसा/2024 दिनांक 09.07.2024 द्वारा (जिसका विवरण Annexure-4 संलग्न) निम्नानुसार मदों में राशि (Ceilling Amount) आबंटन किया गया है :–

क्र.	मद का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	बजट आबंटन
01	फर्नीचर एवं उपकरण क्रय तथा साफ्ट कम्पोनेंट	पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	रु. 50,00,000.00
02	निर्माण कार्य, रिनोवेशन/उन्नयन कार्य	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.–03 रायपुर	रु. 70,00,000.00

कृपया उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (1) अनुमोदनार्थ एवं बिन्दु क्रमांक (2) एवं बिन्दु क्रमांक (3) माननीय कार्यपरिषद के सादर सूचनार्थ प्रस्तुत है।

<u>वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

13. **डॉ. श्रीमती अदिति पोद्दार, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, जैविकी अध्ययनशाला के सी.पी.एफ. की राशि रुपए 51,52,411.00 (रुपए इंक्यावन लाख बावन हजार चार सौ ग्यारह मात्र) के अंतिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान करना।**

टीपः डॉ. श्रीमती अदिति पोद्दार, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला दिनांक 30.07.2024 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक 2777/स्था./सा.प्रशा./2024, दिनांक 26.09.2024 द्वारा इनके विरूद्ध प्राप्त अदेय प्रमाण–पत्र किसी प्रकार का बकाया शेष नहीं है। इनके सी.पी.एफ. खाता क्रमांक 10049605632/33810221470 में राशि निम्नानुसार जमा है :–

(1)	स्वयं अंशदान में जमा राशि रुपये एवं प्राप्त ब्याज सहित	51,52,411.00
(2)	भुगतान योग्य कुल राशि रुपये	51,52,411.00

डॉ. श्रीमती अदिति पोद्दार, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के सी.पी.एफ. खाता क्रमांक 10049605632/33810221470 में जमा राशि रुपए 51,52,411.00 (रुपए इंक्यावन लाख बावन हजार चार सौ ग्यारह मात्र) उनके व्यक्तिगत बचत खाता में जमा करने हेतु सी.पी.एफ. राशि का अंतिम भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

<u>सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

14. **विधि अध्ययनशाला हेतु कार्यपरिषद् में स्वीकृत सह. प्राध्यापक के 01 पद एवं सहायक प्राध्यापक हेतु 06 पदों के शैक्षणिक–सेटअप के अतिरिक्त स्ववित्तीय आधार पर 05 नवीन शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति किये जाने के संबंध में विचार करना।**

टीपः विश्वविद्यालय विधि अध्ययनशाला में वर्तमान में B.A. LL.B., LL.M., एवं Ph.D. in LAW के पाठ्यक्रम संचालित हैं। जिसमें B.A. LL.B.के लिए 60 छात्रों की एक यूनिट, LL.M. के लिए

45 छात्रों की एक यूनिट, एवं Ph.D. in LAW के लिए 12 शोध छात्रों की यूनिट–क्षमता बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया से स्वीकृत है।

उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु वर्तमान में 03 नियमित शिक्षक विभाग में कार्यरत हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तैयार कानूनी शिक्षा नियम 2008 के खंड 17 के अनुसार, एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रम चलाने वाले कानूनी शिक्षा केन्द्रों के पास कला विषयों लिए पृथक–पृथक शिक्षक होना आवश्यक है, जिनके पास यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं होनी चाहिए।

वर्तमान में संचालित B.A. LL.B. पाठ्यक्रम में कला के निम्नलिखित विषयों का अध्यापन कार्य विधि अध्ययनशाला में किया जा रहा हैः–

1. अग्रेजी
2. अर्थशास्त्र
3. इतिहास
4. राजनीति विज्ञान
5. समाजशास्त्र

विधि अध्ययनशाला में उपरोक्त विषयों के अध्यापन हेतु कार्यपरिषद दिनांक 27/09/2024 में प्रस्तावित शैक्षणिक–सेटअप के अतिरिक्त 05 नवीन शैक्षणिक पदों के स्ववित्तीय आधार पर सृजन की स्वीकृति हेतु उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित करने हेतु माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

15. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

कुलसचिव